निर्णय बद्रीलाल के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला राजसमन्द राज0

वाद सं0 89/2017 रे0 वाद

निर्णय दिनांक 16.08.2018

अनवान

1. श्री प्रहलादसिह पिता श्री गायडसिह जी रराजपुत निवासी काकरोद तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्रीमति प्रकाश कंवर पुत्री गायडसिह जी राजपुत निवासी काकरोद तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. श्रीमति फुलकंवर पत्नि रामसिह जी राजपुत निवासी काकरोद तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

—वादीगण

विरुद्ध

1. श्री मोहन पिता हरींग जी लुहार निवासी पुसालो का खेडा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
2. श्री भैरा पिता बगता जी गुर्जर निवासी पुसालो का खेडा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0
3. श्रीमान सबरजिस्ट्रार महोदय देवगढ जिला राजसमन्द
4. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ तह0 देवगढ

—प्रतिवादीगण

वाद खोतदारी घोषणा राजस्व रिकोर्ड मे अंकन एव निषेधाज्ञा

वादीगण का वाद संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि राजस्व ग्राम पुसालो का खेडा पटवार हल्का काकरोद तह0 देवगढ जिला राजसमन्द के खाता सं0 11 आराजी नं0 119 रकबा 41.12 बिघा व खाता सं. 39 खसरा नं0 118 रकबा 1 बिघा 11 विस्वा भूमि व खाता सं0 40 खसरा नं0 115 रकबा 2 बिघा 8 विस्वा व खसरा नं0 117 रकबा 2 बिघा 3 विस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बिघा 11 विस्वा भूमि

सिथत है। उक्त भूमि मे वर्तमान मे प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम अंकित है वह गलत है। उक्त भूमि भगवतसिह पिता जवाहरसिह व कल्याणसिह पिता भारतसिह जी राजपुत निवासी काकरोद के नाम दर्ज थी। कल्याणसिह व भगवतसिह ने अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि का बटवारा कर दिया। ग्राम पंचायत ताल द्वारा दिनांक 05.06.1960 को नामान्तरण सं0 20 तस्दीक किये जिसमे भगवतसिह के फोत हो जाने के बाद उनके जाईन्दा लडके श्री गायडसिह व रामसिह का होना जाहीर था। नामान्तरण स्वीकृत कर दर्ज कर दिया गया। दिनांक 21.01.1962 को राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद हो गया। वादीगण का उक्त भूमि पर पुर्वजो के समय से ही कब्जा हो वादीगण के उपयोग उपभोग मे है। खाता सं0 39 खसरा नं0 118 वर्तमान मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम व खसरा सं0 115 व 117 प्रतिवादी सं0 2 के नाम गलत दर्ज है जिनका उक्त आराजियात से कोई लेना देना नही है। वादीगण के मोरूसी भूमि मे प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज है जो वादीगण के हक व अधिकारो के प्रभाव मे प्रारम्भतः शुन्य है। प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाना आवश्यक है। नामान्तरण की कार्यवाही प्रतिवादीगण को हक अधिकार प्रदान नही करती। प्रतिवादीगण ने षडयन्त्र पुर्वक राजस्व रिकोर्ड मे अपना नाम अंकन करवाया। प्रतिवादीगण गलत तथ्य प्रस्तुत कर नामान्तरण खुलवाया। इसलिये वादीगण राजस्व रिकोर्ड मे अपने नाम भूमि दर्ज करवा घोषणा कराये जाने का अधिकारी है एव वादीगण के उपयोग उपभोग मे प्रतिवादीगण हस्तक्षेप नही करे न ही उक्त भूमि रहन बक्षीस हस्तानान्तरण अन्तरीत करे न ही भूमि मे किसी अजनबी व्यक्ति को प्रवेश करावे इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वाद हेतुक 20 दिन पुर्व उत्पन हो न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार मे होने से वाद बाबत घोषणा व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को समन नोटीस जारी किये गये प्रतिवादी स. 1 मोहन पिता हरींग नाम का कोइ व्यक्ति नही होने की रिर्पोट तामिल कुन्निदा ने पेश की उक्त गाव काकरोद मे मोहन पिता प्रताप नाम का व्यक्ति जो फोत हो चुका है अधिक्वता प्रतिवादी ने आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जवाब वादी अधिवक्ता ने दिया जवाब के साथ ग्राम पंचायत काकरोद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी मोहन पिता हरिंग

का व्यक्ति उक्त गाव मे नही है जिससे प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है अत प्रतिवादी का प्रार्थना– पत्र खारीज किया जाता है वादी का वाद पत्र गूणा अवगुणो पर सुना गया वादी की भूमी गलत रूप से बिना किसी आधारो पर गायड़सिह ,राम सिह पिता भगवतसिह राजपुत के नाम से दर्ज हो गई।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुसालो का खेडा पटवार हल्का काकरोद तह0 देवगढ जिला राजसमन्द के खाता सं0 11 आराजी नं0 119 रकबा 41.12 बिघा व खाता सं. 39 खसरा नं0 118 रकबा 1 बिघा 11 विस्वा भूमि व खाता सं0 40 खसरा नं0 115 रकबा 2 बिघा 8 विस्वा व खसरा नं0 117 रकबा 2 बिघा 3 विस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बिघा 11 विस्वा भूमि मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1व2 का नाम हटाया जाकर उक्त भुमी वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है तदनुसार डिक्री जारी की जावे । पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे । पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को राजस्व न्यायालय देवगढ मे सुनाया गया। ।

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला–राजसमन्द

सहायक कलेक्टर देवगढ